झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

सीएमपी संख्या 872/2019

1. लीला देवी, पति- काशी यादव ग्राम- कुरुमतार, डाकघर- गुरुकुल, थाना- कुंडा, जिला- देवघर
2. सरिता देवी, पति- राजकुमार यादव, ग्राम- तुलसीवरन, डाकघर और थाना- मोहनपुर, जिला- देवघर
3. बीना देवी, पति- बैद्यनाथ महतो, ग्राम- चपरिया, डाकघर और थाना- करौं, जिला- देवघर
4. जागेश्वर यादव
5. राजेश यादव @ कारू महतो, पिता- स्व. काशी यादव, ग्राम- कुरुमतार, डाकघर- गुरुकुल, थाना- कुंडा, जिला- देवघर

... **याचिकाकर्तागण**

बनाम

1. जयप्रकाश यादव
2. सुप्रकाश महतो

दोनों के पिता- पूरन महतो, ग्राम- कुरुमतार, डाकघर- गुरुकुल, थाना- कुंडा, जिला- देवघर

... **उत्तरदातागण**

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर

याचिकाकर्ताओं की ओर से : श्री लखन चंद्र रॉय, अधिवक्ता

आदेश संख्या 04/दिनांक: 14 अक्टूबर 2022

यह आवेदन तारीख 29 नवंबर 2019 को दायर किया गया है जिसमें डब्ल्यूपी (सी) संख्या 1686/2017 की पुन: बहाली की मांग की गई है।

2 . उक्त रिट याचिका 27 नवंबर 2017 को निम्नलिखित कारणों से खारिज कर दी गई थी :

> *"दिनांक 13.10.2017 के आदेश के द्वारा याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादी सं. 1 को दस्ती नोटिस देने की अनुमति दी गई थी। उन्हें यह भी कहा गया था कि प्रतिवादी सं. 1 को दिनांक 22.11.2017*

तक दस्ती नोटिस प्राप्त कराएं और उसके प्रमाण का हलफनामा भी दायर करें। दिनांक 13.10.2017 के आदेश के अनुपालन में कोई हलफनामा दायर नहीं किया गया है। दिनांक 13.10.2017 के आदेशानुसार हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय मांगने के लिए भी कोई आवेदन नहीं दिया गया है। इससे पहले, याचिकाकर्ताओं की ओर से तारीख 15.05.2017, 11.07.2017 और 24.11.2017 को कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

उत्तरदाता सं. 1 वही है, जिसे गोद लिए जाने को टाइटल सूट सं. 63/2004 में चुनौती दी गई है।

इस प्रकार, यह रिट याचिका खारिज की जाती है। "

3. डब्ल्यूपी (सी) संख्या 1686/2017 को 27 नवंबर 2017 को ही उपरोक्त आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। उसकी पुन: बहाली हेतु यह आवेदन दो साल से भी अधिक देरी के बाद अब दायर किया गया है।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील निवेदन करते हैं कि तत्कालीन अधिवक्ता ने उन्हें आवश्यक जानकारी नहीं दी, जिसके कारण रिट कोर्ट द्वारा 13 अक्टूबर 2017 को पारित आदेश पालन नहीं किया जा सका और इसलिए, दिनांकित 13 अक्टूबर 2017 के आदेश के अनुपालन में चूक हुई।

5. न केवल इस पुन: बहाली आवेदन को दायर करने में अत्यधिक देरी हुई है, बल्कि याचिकाकर्ताओं का यह स्पष्टीकरण भी, कि उन्हें रिट याचिका खारिज होने के बारे में जानकारी नहीं मिल सकी, विश्वास के योग्य नहीं है।

6. वर्तमान सीएमपी का पैरा सं. 8 इस प्रकार है:

"निवेदन किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं को 2019 के सितंबर महीने में इस मामले की जानकारी मिली, जब एक याचिकाकर्ता किसी और काम से माननीय उच्च न्यायालय में आया था।

7. उपरोक्त पैराग्राफ संख्या 8 के अतिरिक्त याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई और स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इसके अलावा, पिछली तीन तारीखों पर याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील के उपस्थित न होने संबंधी भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

8. अतः उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह सीएमपी सं. 872/2019 खारिज किया जाता है।

(श्री चंद्रशेखर, न्याया.)

तनुज/-